कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्तं, उत्तराखण्ड, पौड़ी पत्रांकः– 356 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, अगस्त 14 ,2019.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय-

जनपद चमोली के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में बगोली जेंटा कोटी-ग्वालखेत- पेंखोली मोटर मार्ग का बेनीताल तक विस्तारीकरण में लगायी गयी आपत्ति के निराकरण के सम्बन्ध में। Proposal No. - FP/UK/ ROAD/22108/2016

सन्दर्भ-

प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर का पत्रांक 571/12-1 दिनांक 01.08.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा वॉच्छित आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार से किया गया है:-

郊 स0	आपित्ति	उत्तर
1	Justification is not authenticated by DFO. Please upload justification at para-D(i) in form A, part I authenticated by DFO.	Justification Certificate DFo द्वारा सत्यापित कर Part I, Form A के पैरा—डी (i) में अपलोड कर दिया गया है, तथा हार्ड कॉपी संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।
2	Employment generation data, it is seen that temporary employment of 100 man day and permanent employment of 83 numbers is shown at sr.no. online. It does not appear to be correct.	Employment generation data संशोधित कर SR
3	Other documents uploaded at the place of Ownership proof at Column L(iv) g, f please upload corresspondes documents at designated column in form A, Part I.	आपत्ति का निराकरण कर संशोधित कर दिया गया है।
4	Area of CA in Non-Encumberence certificate is wrongly filled at Column L(iv) h of form A, Part I	CA Scheme and site Suitability Certificate अपलोड कर दिया गया है।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार ।

(ऐन०एन०प्राण्डेय)

गढवाल बस्त, जलराखण्ड,पौडी।

भवदीय.

।।कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, ग्रोपेश्वर ।।

दिनांक, गोपेश्वर, जुलाई, सेवा में

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड

वन संरक्षक,

हारा:-

गढवाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

जनपद चमोली के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में बगोली जैटा कोटी-ग्वालखेत-पैखोली विषय:-

मोटर मार्ग का बैनीताल तक विस्तारीकरण में लगायी गयी आपत्ति के निराकरण के सम्बन्ध में। ईंंं। इंंं। इंंं विनांक 10.05.2018

संदर्भ:-महोदय.

उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रस्ताव का अवलोकन करने पर कतिपय कमियों का निराकरण करने हेतु प्रस्तावक विभाग को प्रस्ताव वापस किया गया, जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग की पत्र सं० 1536/10 एल०ए० दिनांक 16.07.2019 से आपत्ति का निराकरण कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

郊 . 书.	आपत्ति	जिसका विवरण निम्नानुसार है:-	
1.	Justification is not and	उत्तर	
	Justification is not authenticated by DFO. Please upload justification at para-D(i) in form A, part I authenticated by DFO.	I, form I के पैरा—डी(प) में अपलोड कर दिया गय	
2.	Employment generation data, it is seen that	रही है।	
	permanent employment of 83 numbers is shown at Sr.no. E online. It does not appear to be correct.	no-E में ऑनलाईन कर दिया गया है।	
3.	Other documents uploaded at the place of Ownership proof at Column L(iv) g, f please upload corresspondes documents at designated column in 6	आपत्ति का निराकरण कर संशोधित कर दिया गया है।	
4.	Area of CA in Non-Encumberance		
	- Column I (IV) h of c	CA Scheme and site suitability certificate अपलोड कर दिया गया हैं	

अतः उक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

भवदीय,

(अमित कंवर) प्रभागीय वनाधिकारी

बद्रीनाथ वृत्तु प्रभाग, गोपंश्वर। प्रतिलिपि:— अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

> (अमित कंवर) प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विमाग कर्णप्रयाग

Phone/Fax- 01363-244204

Email- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 1536 / 11 शिक्समा सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

विषय:-

माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विघानसमा बगोली-जेंटा-कोटी-ग्वालखेत-पेंखोली मोटर मार्ग का बेनीताल तक विस्तारीकरण में लगायी गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्ग:-

EDS दिनोंक 10.05.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित EDS के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया गया जो निम्न प्रकार है:-

1	Justification is not authenticated by DFO. Please upload justification at para-D (i) in	Justification certificate DFO हारा सत्यापित कर
2	form A, part I authenticated by DFO.	part I, form A के para-D (i) में अपलोड कर दिया गया है। तथा हार्ड कॉपी संलग्न कर आपको प्रेष्टित की ज
2	Employment generation data, it is seen that temporary employment of 100 man day and permanent employment of 83 numbers is shown at SR No. E online. It does not appear to be correct.	Employment generation data संशोधित कर SR No. E में ऑनलाईन कर दिया गया है।
3	Other documents uploaded at the place of Ownership proof at Column L (iv) g, f please upload corresspondes documents at designated column in form A, Part I.	आपत्ति का निराकराण कर संशोधित कर दिया गया है।
	Area of CA in Non-Encumberence certificate is wrongly filled at Column L (iv) h of Form A, part I.	आपत्ति का निराकराण कर संशोधित कर दिया गया है।
	CA scheme and site suitability certificate is not uploaded at para - 13 in form A, Part II.	CA scheme and site suitability certificate अपलोड कर दिया गया है।

संलग्न:-	उपरोक्त प्रपन्न।	त्तिया की निराकरण कर सूचनार्थ !	प्रेषित।
वैजी, हैं काइल हैं दिशीय प्रभाव -		MIRION STATE OF STATE	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.